

T 2015/15 2042969

12285




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219419

विक्रय विलेख

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय :- सरधना जिला मेरठ।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219418

1. भूमि का प्रकार

(कृषि/आवासीय/वाणिज्यक/औद्योगिक/अन्य) कृषि

भूमि, परन्तु निम्न भूमि के 200 वर्ग मीटर की त्रिज्या


में आवासीय गतिविधि संचालित है।















उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



E 219417



2. सर्किल रेट सूचि के अनुसार प्रारूप-4 कमांक 154



पृष्ठ-47 है।

3. सर्किल रेट सूचि के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट

1,30,00,000/- रुपये।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219416

4. प्रतिफल की धनराशि अंकन: 1,26,03,500/- रुपये।

5. सर्किल रेट के अनुसार कीमत अंकन: 46,77,816/-

रुपये।

A handwritten signature is written above a horizontal line. Below the line are three fingerprints: a light-colored one on the left, a dark one in the middle, and another dark one on the right.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


E 219415


6. स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला

तहसील सरधना जिला मेरठ।

7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) : खसरा नम्बर

1410, 1411, 1412 आदि









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219414

E 219414

8. मापन की ईकाई (वर्गमीटर/हैक्टेयर : हैक्टेयर
9. विकित सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.3598.8/25 हैक्टेयर ।
10. सडक की स्थिति परिशिष्ट के अनुसार लागू नहीं है।











उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219412

13. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं


है।

14. पेडो का मूल्यांकन: लागू नहीं है।


15. बोरिंग, नलकूप विकित भूमि में नहीं है।















उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 219411


E 219411

16. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित नहीं है।

17. विक्रित भूमि का क्रेता (कम्पनी) की भूमि से मेड मिलान है।

18. अधिसूचना आदेश संख्या

सं०वि०क०नि०-5-2756 / 11-2008-500(165) / 2007









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219410



E 219410

लखनऊ दिनांक 30.06.2008 ई० के अनुसार 7

प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 8,82,500/-

रुपये।

विवरण विक्रित भूमि:



3 JUL 2015

क्र. सं. 51 दिनांक..... पूरव 25/7/15
अधिक सं. में शामिल किया गया
५२

अप-रोफ़्टकल
सरकार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219409

भूमिधरी भूमि अनुसार कम्प्यूटराईज खतौनी 1421 ता 1426


फसली खाता संख्या 00004 के खसरा नम्बर 1410 रकबई

0.3540 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1411 रकबई 0.4050

हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1412 रकबई 0.2910 हैक्टेयर













भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

- 3 JUL 2015

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219408

कुल तीन नम्बर कुल रकबा 1.0500 हैक्टेयर में अपने

समस्त 1/3 भाग की भूमि यानि भूमि 0.3500 हैक्टेयर

लगान 15.87/- रुपये सालाना व कम्प्यूटराईज खतौनी

1421 ता 1426 फसली खाता नम्बर 00009 के खसरा















उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EVIDANCE

E 219407

नम्बर 1414ख रकबई 0.0130 हैक्टेयर में अपने समस्त

1/6 भाग की भूमि 0.0021, 2/3 हैक्टेयर लगान 0.10/-

रूपये सालाना व कम्प्यूटराईज खतौनी 1421 ता 1426

फसली खाता संख्या 00007 के खसरा नम्बर 1414ख.









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


E 219406

रकबई 0.0690 हैक्टेयर में अपने समस्त 1/9 भाग की

भूमि 0.0076,2/3 हैक्टेयर लगान 0.38/- रुपये सालाना

इस प्रकार कुल खाते तीन तीनों खातों से कुल विक्रित

भूमि 0.3598.8/25 हैक्टेयर स्थित ग्राम सिवाया















उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219405

जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला


मेरठ।

इस विक्रय पत्र में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का


सत्यतापूर्वक पालन किया गया है।
















उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219404

विकेता/प्रथम पक्ष दृष्टिहीन/विकलांग व्यक्ति नहीं है।

विक्रित भूमि विकेता/प्रथम पक्ष रिकॉर्डिड भूमिधर है।

पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक है।

→


John


वि. न. दे.




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219403




E 219403

विक्रेता व क्रेता जाति से अनुसूचित जाति या अनुसूचित

जनजाति के सदस्य नहीं है।

विक्रित भूमि के 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत आवासीय

गतिविधि संचालित है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219402

E 219402


विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि

सहित समस्त उत्तर प्रदेश मे 18 एकड से अधिक भूमि

नही है। व केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की











उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219401

E 219401

गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश मे 12,1/2 एकड से

अधिक भूमि नही है।

विकित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेण्ट

ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नही है।

A handwritten signature is written above a horizontal line. Below the line are three fingerprints. The first fingerprint is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219400


हम कि अजय कुमार पुत्र श्री महाराज सिंह निवासी ग्राम

सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला

मेरठप्रथम पक्ष/विकेता।

एवं









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219399

मैसर्स ए-टू-जैड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रजिस्टर्ड आफिस

के-6, पल्लवपुरम फेज द्वितीय, तहसील सरधना जिला मेरठ

पेन नम्बर AANFA 5223C द्वारा डायरेक्टर्स/पार्टनर्स

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी के-6,



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219398

पल्लवपुरम फेज द्वितीय, तहसील सरधना जिला मेरठ व श्री

विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159, शास्त्री

कालोनी निकट आर्य नगर कंकरखेडा मेरठ.....द्वितीय

पक्ष/केता।















उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219397

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते है कि प्रथम पक्ष विक्रेता

निम्नलिखित सम्पत्ति का स्वामी काबिज और अधिकारी है।

प्रथम पक्ष/विक्रेता व्यक्तिगत स्वामी व विक्रयाधिकारी है

→

John

10/2/15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219396

तथा जो आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा

भार आदि से मुक्त है, प्रथम पक्ष/विक्रेता को मूल्य इस

समय उचित मिल रहा है, जो इस वक्त के बाजारी मूल्य

के बराबर है, इससे अधिक मूल्य मिलने की कोई सम्भावना





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




E 219395

नही है, जिसके विक्रय करने मे ही प्रथम पक्ष का पूरा पूरा

लाभ व भलाई है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को

अपने सारे अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि सहित

स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो की अवस्था



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



E 219394

मे अंकन 1,26,03,500/- एक करोड छब्बीस लाख तीन

हजार पांच सौ रुपये मे कि जिसके आधे अंकन

63,01,750/- तिरेसठ लाख एक हजार सात सौ पचास

रुपये होते है।, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य मे हस्ते मैसर्स









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219393

E 219393

ए-टू-जैड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रजिस्टर्ड आफिस

के-6, पल्लवपुरम फेज द्वितीय, तहसील सरधना जिला

मेरठ द्वारा डायरेक्टर्स/पार्टनर्स जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री

रघुवीर सिंह निवासी के-6, पल्लवपुरम फेज द्वितीय,





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219392


E 219392

तहसील सरधना जिला मेरठ व श्री विनोद कुमार पुत्र श्री

बलबीर सिंह निवासी 159, शास्त्री कालोनी निकट आर्य

नगर कंकरखेडा मेरठ को विक्रय कर दी और पूर्णतया बेच

दिया और विक्रय मुल्य विक्रेता/ प्रथम पक्ष ने केता/









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219391

द्वितीय पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त करके उक्त विकित

सम्पत्ति को अपने सारे ही अधिकार स्वामित्व तथा

अधिपत्य आदि से निकालकर बिना छोड़े हुए कोई हक व

हिस्सा चाहे उसका जिक इस दस्तावेज मे किया गया हो









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 219390

E 219390

अथवा न किया गया हो मौके पर द्वितीय पक्ष के अधिकार

स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर द्वितीय पक्ष को

व्यक्तिगत स्वामी एवं पूर्णतया अधिकारी तथा अपनी ही

भांति काबिज व अधिकारी बना दिया है। अब प्रथम पक्ष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


E 219389

का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का विक्रित सम्पत्ति व

प्राप्ति रुपयो की बाबत द्वितीय पक्ष से शेष नही रहा है

और न ही भविष्य मे होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित

हुआ। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह सरकारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 090254


रिकार्ड में अपना नाम बहैसियत मालिक दर्ज करा ले इसमें

जहाँ कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी

तो उसमें प्रथम पक्ष को कोई उर्ज व एतराज नहीं होगा।

आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा











उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 090255

करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि प्रथम पक्ष

के किसी सम्बन्धी, सहभागी या उत्तराधिकारी के वादवश

अथवा आज से पूर्व के किसी भी वैधानिक दोशवश उक्त

विक्रित सम्पत्ति अथवा उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के

✓ उरु वरु



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 090253

B 090253

अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे ,या

कोई धन द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के

लिये अदा करना पड जाये तो ऐसी प्रत्येक दशा मे द्वितीय

पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 090252

अथवा उसका अंश जैसी भी दशा मे हो, क्षति व खर्चा

बैनामा मय एक रुपया प्रतिशत मासिक ब्याज व कानूनी

न्यायालय द्वारा वाद सहित मय हर्जा व खर्चा व लागत

निर्माण आदि व अदा किया हुआ धन जिस प्रकार उचित










उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




B 090251

जाने, प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों से व उनकी

चल अचल सम्पत्ति से प्राप्त कर ले। इसमें प्रथम पक्ष तथा

उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी अतः

यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि प्रसन्नचित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 219240 BC 219240

बिना किसी दबाव या बहकाव के लिखा दिया ताकि प्रमाण

हो और समय पर काम आवे ।

विवरण प्राप्ति विक्रय मुल्य:-










79

स्थान का मूल्य: 5000 रुपये पौत्र दंड

वैधता का मूल्य: 100 रुपये

पत्ता: पल्लवपुरम 6 मारुतो मेड द्वारा फॉर्म 9A विनोद कुमार

विक्रय पत्र

12,603,500.00 / 4,677,816.00

10,000.00 20 10,020.00 1,000

पतिफल मालियत 10 स्वाम्य विवेक

श्री अजय कुमार

पुत्र श्री महाराज सिंह

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर दोराला सरधना मेरठ

अस्थायी पता पड0 1563014

ने यह लेखपत्र डीम कार्यालय में दिनांक 26/8/2015 समय 1:38PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रकाश

उप निबन्धक सरधना

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनगशि रू प्रलेखानुमार उक्त

विक्रेता केता 26/8/2015

श्री अजय कुमार

पुत्र श्री महाराज सिंह

पेशा अन्य

निवासी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर दोराला सरधना मेरठ



श्री मे0एटूजैडबि0ए0डव0द्वारा जितेंद्र कुमार

पुत्र श्री रघुवीर सिंह

पेशा व्यापार

निवासी के 6 पल्लवपुरम -2 मेरठ



श्री मे0एटूजैडबि0ए0डव0द्वारा विनोद कुमार

पुत्र श्री बलवीर सिंह

पेशा व्यापार

निवासी 159 शास्त्री कालोनी निकट आर्यनगर कंकरखेडा मेरठ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 236548


अंकनः 1,26,03,500/- रुपये द्वारा चैक नम्बर 012395

दिनांक 03.07.2015 जारीकर्ता पी0एन0बी0 शाखा मोदीपुरम

(मेरठ)









3/3/15 2015
39
बलबीर सिंहा
रघुवीर सिंहा
व्य. पल्लवपुरा (मेरठ)

क्रेता

Registration No. : 12285

Year : 2015

Book No. : I

0201 मै0एटूजैडवि0ए0डव0द्वारा जिनंद्र कुमार
रघुवीर सिंह
के 6 पल्लवपुरम -2 मेरठ
व्यापार


Jinendra



0202 मै0एटूजैडवि0ए0डव0द्वारा विनोद कुमार
बलबीर सिंह
159 शास्त्री कालोनी निकट आर्यनगर कंकरखेडा मेरठ
व्यापार

Vinod







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 848911

नक्शा नजरी



विक्रय की गयी भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण -

1. नाम सड़क..... /
2. आवासीय/वाणिज्यिक, भूमि/भवन/औद्योगिक.....
3. शैक्षिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र..... कृषि भूमि
4. औद्योगिक संस्थान/काल्ड स्टोरेज.....
5. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/बस अड्डा.....
6. होटल रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र.....
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय.....
8. अन्य.....

घोषणा- किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

3-7-15
ह0 विक्रेता

→ 



 →


ह0 केता



